

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9
= श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण
प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगरपालिका/ग्राम पंचायत का नाम - रामनगर
तहसील-रामनगर जिला-नैनीताल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.0250 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल सोयम भूमि शून्य है० वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 0.0250 है० वन भूमि का श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत/वार्ड रामनगर द्वारा दिनांक 29-02-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम/नगरपालिका रामनगर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल - प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
सचिव

ह०/-
अध्यक्ष, नगरपालिका
रामनगर नैनीताल

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 29.02.2016 को ग्राम सभा / नगरपालिका की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगरपालिका-रामनगर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गुलाम सादिक	गुलाम सादिक
2	श्री शुभ्रज अग्रवाल (लवी)	Shubraj
3	श्री मिलिन्द बेसल	मिलिन्द
4	श्रीमती माया	माया
5	श्रीमती कमला चौडियाल	कमला

ह0/-
अध्यक्ष, नगरपालिका
रामनगर नैनीताल

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र धिलिङ्याल पुत्र श्री महेशानन्द धिलिङ्याल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रामनगर

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र धिलिङ्याल पुत्र श्री महेशानन्द धिलिङ्याल के नाम नवीनीकरण हेतु (0.0250 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.0250 है० वन भूमि) श्री हरीश चन्द्र धिलिङ्याल पुत्र श्री महेशानन्द धिलिङ्याल (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रामनगर) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|----------------------|--|
| 1. श्री परितोष वर्मा | उपजिलाधिकारी रामनगर |
| 2. श्री टी०एस० शाही | उपप्रभागीय वनाधिकारी रामनगर |
| 3. श्री सत्य प्र. गो | सहायक समाज कल्याण अधिकारी रामनगर |
| 4. श्री पु०अ० | सी०डी०सी० क्षेत्र रामनगर सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष |
| 5. श्री वी०वी० पन्ना | वन क्षेत्राधिकारी कोसी |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र धिलिङ्याल पुत्र श्री महेशानन्द धिलिङ्याल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा/नगरपालिका के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला उद्भूत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर नैतिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की गई है।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जनजाती से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

इसमें सर्वसम्मति से उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में नन्हेखेत रोड के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल को प्लॉट पर दी गयी 0.0250 है० वन भूमि का (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रामनगर
जनपद-नैनीताल

नतिलिपि:- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

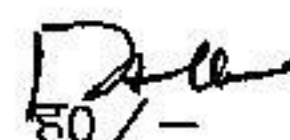
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रामनगर
जनपद-नैनीताल

प्रपत्र-23.3

प्रस्ताव का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित/पूर्व में स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल द्वारा वन नवीनीकरण कृषि सेवा केन्द्र हेतु 0.0250 है० किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड नैनीताल वन अधिकार समिति रामनगर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो पा रही है व न ही किसी अनुसूचित/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


ह०/-
जिलाधिकारी
नैनीताल

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

नोट:- नहर निर्माण, नहर निर्माण, पारिषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को अन्तर्गत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण-पत्र सं० 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु अन्तर्गत किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

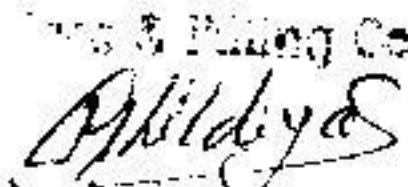
प्रपत्र-24

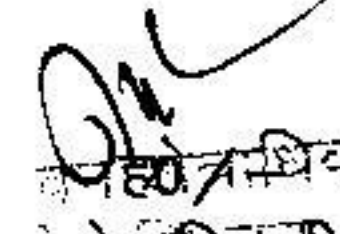
परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट सं0 8 एवं 9
= श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण
= सम्बन्ध में।

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण
(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

क्रम सं0	घटक/कम्पोनेन्ट	आरक्षित वन भूमि (है0में)	सिविल वन एवं सोयम वन भूमि (है0में)	कुल वन पंचायत भूमि (है0में)	नाप भूमि	अभ्युक्ति
1.	—	0.0250 है0	—	—	—	—
	योग	0.0250 है0	—	—	—	—

— लागू नहीं —

ह0/-  प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-  वन क्षेत्राधिकारी क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

ह0/-
प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी
रामनगर, रामनगर

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

